न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 15/15/अपील

1. मालीराम
2. राजेन्द्रप्रसाद
3. चन्दनमल
4. बनवारीलाल
5. संतोष
6. प्रेमदेवी

पुत्र/पुत्रियां स्व0 देवीलाल

समस्त जाति बलाई निवासीगण खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट्स

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 1162 दिनांक 12.08.2014
ग्राम पंचाचत, खाचरियावास (सीकर)

उपस्थिति—

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट्स की ओर से

निर्णय दिनांक—07.09.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में वर्तमान भूमि खसरा नं. 157 रकबा 0.19 है0, 158 रकबा 0.19 है0, 159 रकबा 0.73 है0 किता 3 कुल रकबा 1.35 है0 अवस्थित है। अपीलांस का सजरा खानदान इस प्रकार है:—

मुन्नालाल बलाई(फौत)

↓

नारायण(पुत्र) (अविवाहित फौत) | बालूराम(पुत्र) (फौत) | देवीलाल (पुत्र) (फौत)

प्रेमदेवी(पत्नी) (नाऔलाद पति से पूर्व फौत) | कंवरड़ी देवी(पत्नी) फौत

↓

मालीराम राजेन्द्रकुमार चन्दनमल बनवारीलाल संतोषदेवी प्रेमदेवी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अपीलांट्स स्व. मुन्ना बलाई के पौते है तथा स्व. मुन्ना बलाई के तीन पुत्र है जिनमें नारायण अविवाहित फौत हुआ, बालूराम नाऔलाद फौत हुआ तथा देवी लाल के अपीलांट पुत्र व पुत्री है तथा हिन्दू उतराधिकार के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के वारिस है। नारायण, बालूराम व बालूराम की पत्नी प्रेमदेवी की मृत्यु दिनांक कमशः 17.12.1976, 25. 08.2008, 12.02.1961 तथा देवी लाल की मृत्यु दिनांक 17.12.2007 तथा अपीलांट की मां कवरड़ी देवी उर्फ पूरणी देवी की मृत्यु दिनांक 18.10.2013 को ग्राम खाचरियावास में हुई हैं जिनका विधिवत मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा जारी किया हुआ है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा ही अपीलांट्स के आवेदन पर जांच करके विधि अनुसार ही वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2014 को जारी कियाा है। अपीलांट्स ने अपने समस्त दस्तावेज तथा अपने पूर्वज ताऊ नारायण, बालूराम, ताई प्रेमदेवी पिता देवीलाल तथा मां कंवरड़ी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वारिस प्रमाण प्रस्तुत किये क्योंकि नारायण अविवाहित फौत हुआ तथा बालूराम व उसकी पत्नी प्रेमदेवी नाऔलाद फौत हुए तथा उक्त स्व. देवीलाल के बड़े भाई है एवं अपीलांट्स स्व. देवीलाल के पुत्र, पुत्री है इसलिए स्व. नारायण व स्व. बालूराम के हिस्से की संपदा के अपीलांटस हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के वारिस है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। पटवार हल्का खाचरियावास ने दिनांक 12. 07.2014 को ना.करण भरकर बाद जांच गिरदावर हल्का रिपोर्ट करवा कर ग्राम पंचायत, खाचरियावास में प्रस्तुत कर दिया लेकिन रेस्पो. सं. 1 नेक राजनैतिक द्धेषता रखते हुए अपीलांट्स को बिना सूचित किये दिनांक 12.08.2014 को प्रस्ताव सं. 10 के अनुसार अपीलांट ्स का ना.करण केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि नारायण व बालूराम पुत्र मुन्ना की मृत्यु जांच में पंजाब व हरियाणा में होना पाया गया हे तथा वारिस प्रमाण पत्र सक्षम अधिकाररी का नहीं होने के कारण ना.करण ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 12.08.2014 के प्रस्ताव संख्या 10 के द्वारा ना.करण खारिज किया गया है। ग्राम पंचायत खाचरियावास का उक्त आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य तथा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत खाचरियावास (रेस्पो. सं. 1) का उक्त आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट को अपीलग्रस्त ना.करण खारिज करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही बिना किसी आधार के अपीलग्रस्त ना..करण बिना ठोस आधार व बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के गलत रूप से निरस्त किया गया है। अपीलांट स्व. देवीलाल के पुत्र व पुत्री है तथा स्व. नारायण व स्व. बालूराम अपीलांट के पिता के सगे बड़े भाई है जिनका कोई विधिक वारिस जायन्दा या दतक नहीं है इसलिए अपीलांट ही स्व. नारायण व स्व. बालूराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है। अपीलांट्स ने अपने विधिक वारिस होने के समस्त दस्तावेज रेस्पो. सं. 1 के यहां प्रस्तुत किये है। वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2014 उसी सरपंच,

...., दांतारामगढ

ग्राम पंचायत, खाचरियावास का जारी किया हुआ है तथा दिनांक 12.08.2014 को ना. करण भी गलत तथ्यों पर उसी सरपंच द्वारा निरस्त किया गया है जो विरोधाभासी है। रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा जारी मृत्यु प्रमण पत्र तथा रेस्पो. सं. 1 द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र आज भी वैध है तथा किसी भी न्यायालय में चुनौतीग्रस्त नहीं है इसलिए रेस्पो. सं. 1 का आदेश दिनांक 12.08.2014 प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। रेस्पो. सं. 1 ने अपने आदेश दिनांक 12.08.2014 का ज्ञान अपीलांट्स को नहीं होने दिया। दिनांक 10.07.2015 को अपीलांट्स ने जब ना.करण की नकल हेतु आवेदन तहसील कार्यालय, दांतारामगढ में पेश किया जिसकी नकल दिनांक 13.07.2015 को अपीलांट्स को प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलांट्स को अपना ना.करण निरस्त होने का ज्ञान हुआ, जो अपील जानकारी से अन्दर मियाद है फिर भी दफा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। वैसे भी अवैध व प्रभावशून्य आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में पेश है। अतः अपील अपीलांट्स पेश कर निवेदन है कि रेस्पो. सं. 1 के दिनांक 12. 08.2014 को प्रस्ताव सं. 10 के आधार पर किया गया निर्णय निरस्त कर रेस्पो. सं. 2 को रिमाण्ड करने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस वकील अपीलांट्स की एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण सं. 1162 दिनांक 12.08.2014 द्वारा ग्राम पंचायत, खाचरियावास निरस्त फरमाया जावें।

4. हमने वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 1162 दिनांक 12.08.2014 द्वारा ग्राम पंचायत, खाचरियावास जिला सीकर द्वारा तस्दीक किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील विलम्ब के समय को कन्डोन किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 05.7.2014 के द्वारा ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर पटवारी हल्का, खाचरियावास द्वारा ना.करण दर्ज किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक रामगढ द्वारा जांच में उल्लेख किया गया है कि "जांच की गई मुताबिक ग्राम पंचायत, खाचरियावास के मृत्यु प्रमाण पत्र वारिस प्रमाणपत्र के अंकन सही है तथा शास्ती योग्य है। परन्तु नारायण की मृत्यु तिथि 1961 होना बताया गया है। अतः मौके पर प्रकरण की जांच की गई तो मृत्यु खाचरियावास में नहीं होना बताया गया तथा वारिस भी विवादित बताये गये अतः सक्षम न्यायालय को मृत्यु व उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पंचायत फैसल करें अन्यथा खारिज योग्य है।"

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा विरासत का ना.करण प्रस्ताव सं 10 के आधार पर खारिज किया है कि "मृतक खातेदार नारायण, बालू पुत्र मुन्नाराम जाति बलाई की मृत्यु मौका जांच में पंजाब व हरियाणा में होना पाया गया है जबकि आवेदक द्वारा गलत शपथ पत्र एवं झूंठे तथ्य बताकर गलत मृत्यु व वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाकर ना. करण दर्ज करवा लिया गया। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण ना.करण ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 12.8.2014 के प्रस्ताव सं. 10 के द्वारा ना.करण खारिज किया गया।" सरपंच, ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी हल्का, खाचरियावास द्वारा ना.करण दर्ज किया जाकर तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत, खाचरियावास के समक्ष पेश किया गया है तथा उक्त वारिस प्रमाण पत्र को किसी व्यक्ति द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चैलेज किया गया है या नहीं, ऐसा दस्तावेज ना.करण तस्दीक करते समय पेश किया गया हो, ऐसे दस्तावेज का उल्लेख ना.करण पर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ना.करण खारिज किया गया है जो खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित ना.करण के सम्बन्ध में जारी आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, खाचरियावास तहसील दांतारामगढ द्वारा तस्दीक ना.करण सं. 1162 दिनांक 12.08.2014 निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतकों के वारिसान के सम्बन्ध में मजमें–ए–आम में जांच कर वारिसान के नाम पुनः ना.करण दर्ज करवाकर तस्दीक करें। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 07.09.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ